

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 113/2021 अपील/चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/125)

पंजीयन दिनांक– 25.02.2021

निर्णय दिनांक– 26.07.2021

1. श्री महेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल जाट, निवासी सामरी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. गुड्डीबाई पिता मांगीलाल जाट, निवासी सामरी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री गोविंदराम पिता रामबक्ष जाट, निवासी सामरी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलांट्स

बनाम

1. मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, बी बीग, आहुरा सेक्टर महाकाली केटस रोड, अंधेरी (ई) मुम्बई ईकाई आदित्य सीमेंट सावा, आदित्यपूरम, सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ जरिये महाप्रबंधक, भूमि रमेशचन्द्र पिता रामअवध त्रिपाठी, निवासी आदित्य सीमेंट आदित्यपूरम सावा, तलसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. पंजाब बैंक, शाखा सावा, तलसील व जिला चित्तौड़गढ़।

—रेस्पोंडेंट्स

उपस्थिति:—

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. श्री रजनीश चित्तौड़ा | —अधिवक्ता अपीलांट्स |
| 2. श्री शाहनवाज खान | —अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 |
| 3. श्री पुष्पेन्द्र पालीवाल | —अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 |

अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

विरुद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या

12/2018 निर्णय दिनांक 27.08.2019

निर्णय

दिनांक 26.07.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय जिला कलक्टर,

चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 12/2018 निर्णय दिनांक 27.08.2019 के विरुद्ध दिनांक 16.10.2019 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 17.02.2020 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449-50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 25.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से अपीलांत के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत कम्पनी को अपने सीमेंट उद्योग के प्रयोजनार्थ लाईम स्टोन की आपूर्ति हेतु मौजा अमरपुरा में वृहद सीमेंट प्लांट को चलाने हेतु माईनिंग लीज में ग्राम अमरपुरा में स्थित स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी नम्बर 74 रकबा 0.47 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 78 रकबा 0.20 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 79 रकबा 0.62 हैक्टेयर कुल कित्ता 3 रकबा 1.29 हैक्टेयर का मुआवजा निर्धारण करने हेतु प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 12/2018 निर्णय दिनांक 27.08.2019 से मुआवजा राशि तय किये जाने का निर्णय पारित किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांत द्वारा यह अपील पेश की गई।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांत्स की ओर से अधिवक्ता श्री रजनिश चित्तौड़ा उपस्थित व रेस्पोंडेंट 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शाहनवाज खान उपस्थित तथा रेस्पोंडेंट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र

पालीवाल उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 16.07.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट तहसीलदार से तलब की गयी जिस पर तहसीलदार ने दिनांक 26.06.2018 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, मौका रिपोर्ट में यह बताया गया कि अमरपुरा की आराजी नम्बर 74, 78 एवं 79 की उक्त भूमि में अपीलांट ने नलकूप, पाईप लाईन, पत्थर की कोट व 100 वर्ष पुराने वृक्ष खड़े हैं जिनकी कीमत लगभग 50,00,000/- रुपये है व पत्थर की कोट की कीमत करीब 25,00,000/- रुपये व नलकूपों की 10,00,000 रुपये है फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बगैर डीएलसी के अनुसार मुआवजा राशि तय किये जाने का अवार्ड आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व यह तथ्य अंकित किये गये कि वर्तमान में कम्पनी को खनन हेतु भूमि की आवश्यकता नहीं है फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अवार्ड आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1/प्रार्थी कम्पनी ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोंडेंट/प्रार्थी कम्पनी को सीमेंट प्लांट लगाने की अनुमति एवं राजस्थान सरकार के खान विभाग द्वारा प्रधान खनिज रियायत नियमावली 1960 के नियम 22 (1) के अंतर्गत कच्चे माल, लाईमस्टोन की आपूर्ति हेतु खनन कार्य हेतु भूमि आवंटित कर रेस्पोंडेंट/प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में लीज डीड निष्पादित की हुई है जिससे रेस्पोंडेंट/प्रार्थी कम्पनी माईनिंग लीज क्षेत्र में अपाप्त की गई व अन्य खातेदारों से प्राप्त भूमि पर खनन कार्य कर रही है एवं करेगी। रेस्पोंडेंट/प्रार्थी कम्पनी की माईनिंग लीज क्षेत्र में उक्त

खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि की रेस्पोंडेंट/प्रार्थी कम्पनी को माईनिंग प्रयोजनार्थ आवश्यकता होने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के यहां राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 89 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.09.2019 उचित एवं नियमानुसार है। अतः अपील अपीलांत खारिज किये जाने बाबत निवेदन है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स द्वारा पंजाब नेशनल बैंक शाखा सावा से कृषि ऋण लिया गया था इस हेतु बैंक को फोर्मल पार्टी बनाया गया है। साथ ही निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा नियमानुसार उचित कार्यवाही की जावे।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि यह अपील धारा 89 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट की खनन एवं संबंधित प्रयोजनार्थ रेस्पोंडेंट के पक्ष में रेस्पोंडेंट के आवेदन के आधार पर भूमि रेस्पोंडेंट को **Assing** करने के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने मुआवजे को लेकर जो आपत्तियां प्रस्तुत की, उन्हीं आपत्तियों को लेकर अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई होकर मुआवजा निर्धारण के विरुद्ध प्रमुख रूप से अपील प्रस्तुत की है तथा अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तय किये गये मुआवजे को अपर्याप्त बताते हुए यह अपील प्रस्तुत की है। हम यहां धारा 89(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम को उद्धृत करना उचित समझते हैं।—

89 (4) If, in the exercise of the right herein referred to over any land, the right of any persons are infringed by the occupation or disturbance of the surface of such land, the

State Government of its assignee shall pay to such persons compensation for such infringement and the amount of such compensation shall be calculated by the Collector, of, if his award is not accepted, by the civil court, as nearly as may be in accordance with the provisions of the Rajasthan Land Acquisition Act, 1953 (Rajasthan Act XXIV of 1953).

उपरोक्तानुसार विधिक प्रावधाना के आलोक में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि राज्य सरकार या उसके प्रतिनिधि द्वारा तय किये गये मुआवजे से यदि हितधारी असंतुष्ट है तो वह मुआवजे को लेकर सिविल न्यायालय में चाराजोही कर सकता है।

उपरोक्तानुसार यह अपील मूलतया मुआवजे के निर्धारण को लेकर प्रस्तुत की गयी है जिसके लिए विधि के सुव्यक्त प्रावधानानुसार सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है एवं तदनुसार इस न्यायालय को मुआवजा निर्धारण में जो उभय पक्षों को सुनकर एवं पर्याप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर तय किया गया है, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होता। हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हमारे क्षेत्राधिकार अन्तर्गत की कार्यवाही में किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर